

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**  
 प्राधिकार से प्रकाशित  
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2, 1972 (भाद्र 11, 1894)

No. 36]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 1972 (BHADRA 11, 1894)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
 Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 15 फरवरी 1972 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 15th February 1972 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

शून्य

—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियाँ प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।  
 मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय-सूची		पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	971	भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . . . . 3393
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	1449	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . . . . . 453
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	—	भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . . . . 1215
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	1263	भाग III—खंड 2—एकस्य कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस . . . . . 255
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . . .	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं . . . . . 81
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रश्न समितियों की रिपोर्ट . . . . .	—	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . . . . 1343
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . . . .	2243	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . . . . . 169
		पूरक संख्या 36— 26 अगस्त, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट . . . . . 1731 5 अगस्त, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उसमें अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े . . . . . 1741

## CONTENTS

PAGE	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	971
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	1449
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence . . . . .	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	1263
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills . . . . .	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories). . . . .	2243
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . . . . .	3393
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence . . . . .	453
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	1215
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta . . . . .	255
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	81
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	1343
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	169
SUPPLEMENT No. 36— Weekly Epidemiological Reports for week-ending 26th August 1972 . . . . .	1731
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 5th August, 1972 . . . . .	1741

**भाग 1—खण्ड 1**  
**(PART I—SECTION 1)**

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

**राष्ट्रपति सचिवालय**

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1972

सं० 98-प्रे०/72—राष्ट्रपति मणिपुर राइफल्स के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री संघोषट,  
नायक सं० 12164,  
1ली बटालियन  
मणिपुर राइफल्स,  
इम्फाल, मणिपुर।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया**

6 जनवरी 1972 को लुखम्बी बाह्य चौकी से मणिपुर राइफल्स की 1ली बटालियन के एक गमती दल को सशस्त्र विरोधियों के गिरोह की खोज करने के लिए तैनात किया गया, चौकी के आसपास जिनके मौजूद होने की सूचना मिली थी। गश्ती दल ने कई गांवों में गिरोह की खोज की किन्तु उसे कोई सफलता नहीं मिली। गश्ती दल जब वापस अपने स्थान लुखम्बी को लौट रहा था तो मोंगफेल खुनोव गांव के समीप ढलवा पगडंडी से उतरते समय विरोधियों द्वारा घात लगाकर स्वचालित हथियारों से उन पर गोली चलाई गई। गश्ती दल का नेतृत्व श्री संघोषट कर रहे थे। उनके पैर से जरा ऊपर बाईं ओर गोली लगी जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गए। अपनी चोट की परवाह न करते हुए, श्री संघोषट रेंगकर एक ऐसे स्थान की ओर चल पड़े जहां से विरोधी गोली चला रहा थे। भारी गोलीबारी तथा अपने गंभीर घाव के बावजूद वे विरोधियों के गोली चलाने के स्थान पर पहुंच गए और उन पर एक हथगोला फेंका। विरोधी घबरा गए और उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया।

श्री संघोषट ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए विरोधियों को उनके स्थान से उखाड़ने में उत्कृष्ट वीरता और असाधारण कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 जनवरी 1972 से दिया जाएगा।

सं० 99-प्रे०/72—राष्ट्रपति मणिपुर राइफल्स के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

**अधिकारियों का नाम तथा पद**

श्री नर बहादुर,  
नायक सं० 1376,  
1ली बटालियन  
मणिपुर राइफल्स,  
इम्फाल, मणिपुर।  
श्री पाओकम,  
राइफलमैन सं० 12145,  
1ली बटालियन,  
मणिपुर राइफल्स,  
इम्फाल, मणिपुर।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया**

6 जनवरी 1972 को लुखम्बी बाह्य चौकी से मणिपुर राइफल्स की 1ली बटालियन के एक गश्ती दल को सशस्त्र छिपे हुए विरोधियों के एक ऐसे गिरोह की खोज करने के लिए तैनात किया गया, आसपास के क्षेत्र में जिसके मौजूद होने की सूचना मिली थी। गश्ती दल ने कई गांवों में गिरोह की खोज की किन्तु उसे कोई सफलता नहीं मिली। जब गश्ती दल वापस अपने स्थान लुखम्बी को लौटते समय सोंगफेल खुनोव गांव के समीप ढलवा पगडंडी से उतर रहा था तो विरोधियों द्वारा उस पर घात लगाकर स्वचालित हथियारों से गोली चलाई गई। विरोधियों की गोली से गश्ती दल के प्रमुख स्काऊट गंभीर रूप से घायल हो गए। विरोधियों को उनके ठिकानों से उखाड़ने के लिए और प्रयत्न करते हुए, तथा अधिक रक्त बह जाने के कारण प्रमुख स्काऊट बेहोश हो गए। श्री पाओकम, जो गश्ती दल के नं० 2 स्काऊट थे, गोलियों की परवाह न करते हुए तत्काल उस स्थान की ओर लपके जहां घायल नायक गिर पड़े थे और उन्हें उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले आए। श्री नर बहादुर, जो दल में नं० 2 स्काऊट के पीछे थे, तुरन्त हल्की मशीनगन लेकर आगे बढ़े और गरज कर गश्ती दल के व्यक्तियों को धावा बोलने का आदेश दिया। विरोधी जो शुरू ही में अपने मोर्चे से उखाड़ दिए गए थे, गश्ती दल के आक्रमण से और भी अधिक आतंकित हो गए और पास के घने जंगलों में भाग निकले।

विरोधियों के साथ मुठभेड़ में श्री नर बहादुर और श्री पाओकम ने उत्कृष्ट वीरता तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 जनवरी 1972 से दिया जाएगा।

सं० 100-प्रेञ्च/72—राष्ट्रपति तमिल नाडु अग्नि सेवा के निर्म्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री शंकरन बोडागर,  
फायरमैन 2592,  
मदुराई जिला,  
तमिल नाडु।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया**

26 अक्तूबर, 1971 को मूसलाधार घर्षा के कारण मदुराई जिले में अरापलयम गांव के साथ बहती हुई एक जंगल की नदी में बाढ़ आने से उसके किनारे में दरार पड़ गई जिसके परिणाम स्वरूप गांव पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर गया और पूर्व तथा पश्चिम की ओर से गांव को जाने वाली सड़कों में दरारें पड़ गईं। गांव के पश्चिम में अरापलयम सड़क दो स्थानों पर और गांव के पूर्व की ओर मीनाक्षीपुरम सड़क एक स्थान पर टूट गई थी। तल्लाकुलम फायर स्टेशन से अरापलयम गांव में बाढ़ में घिरे व्यक्तियों को बचाने के लिए सहायता देने का अनुरोध किया गया।

11 व्यक्तियों का एक बचाव दल अरापलयम सड़क से गांव की ओर भेजा गया किन्तु जहां सड़क में पहली दरार पड़ी थी उन्हें वहीं रुकना पड़ा। पानी की धारा बहुत तेज थी। एक रस्सी लेकर दरार को तैर कर पार करने के लिए श्री शंकरन बोडागर ने अपनी सेवाएं अर्पित की ताकि वह रस्सी बचाव दल का मार्ग चिन्ह बन सके। रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में बांध कर श्री शंकरन बोडागर 50 फीट चौड़ी दरार को तैर कर पार कर गए और दूसरी ओर पहुंच कर उन्होंने रस्सी को पास के एक पेड़ से बांध दिया। इस मार्ग चिन्ह के सहारे बचाव दल के अन्य सदस्यों ने दरार को पार किया। बचाव दल को पुनः दूसरी दरार पर रुकना पड़ा परन्तु यहां भी श्री शंकरन बोडागर ने तैर कर पार जाने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की और इस तरह बचाव दल इस दरार को भी पार कर सका। बचाव दल ने गांव में पहुंच कर लोगों को गांव की पूर्व दिशा की सड़क से बचा निकालने का फैसला किया परन्तु यहां भी बचाव दल ने देखा कि कोई 40 फीट चौड़ी दरार पड़ी हुई है। श्री शंकरन बोडागर ने इस दरार को भी पार किया और दरार के पार एक पेड़ के साथ रस्सी को बांध दिया जिसके मार्ग चिन्ह के सहारे गांव की समस्त आबादी को जिसकी संख्या कोई 200 थी, बचा कर मीनाक्षीपुरम गांव में पहुंचा दिया।

अपने जीवन के खतरों की परवाह न करते हुए अरापलयम गांव में फंसे हुए 200 व्यक्तियों को बचा कर निकालने में श्री शंकरन बोडागर ने उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 अक्तूबर 1971 से दिया जाएगा।

सं० 101-प्रेञ्च/72—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निर्म्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री मुक्तार सिंह खेरा,  
पुलिस उप निरीक्षक,  
80वीं बटालियन,  
सीमा सुरक्षा दल।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया**

16 जनवरी 1972 को सूचना मिली कि विरोधियों का एक सशस्त्र दल मिर्जा पहाड़ी जिले के छोटाहरीना की ओर जा रहा है। श्री मुक्तार सिंह खेरा को विरोधियों को रोकने का आदेश दिया गया। श्री खेरा ने 16 जनवरी, 1972 को दुर्गम तथा कठोर भूभाग पर 12 मील की दूरी 3 घंटे में तय की और लगभग 9 बजे रात को विरोधियों को जा घेरा। श्री खेरा निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए विरोधियों के स्थान के बहुत निकट गए और विरोधियों के भागने के संभावित रास्तों में अपनी लाइट मशीन गनों को तैनात कर दिया ऐसा करते समय उन पर विरोधियों ने गोली चला दी। श्री खेरा ने अपनी प्लाटून को सभी हथियारों से विरोधियों पर गोलीबारी करने का आदेश दिया, और उन्होंने स्वयं आक्रमण का नेतृत्व संभाला। विरोधियों का मोर्चा नष्ट कर दिया गया तथा दो विरोधी घटनास्थल पर मार दिए गए और अन्य एक को लाइट मशीन गन दल ने संगीन से मार दिया। शेष विरोधी भाग कर जंगल में चले गए।

श्री मुक्तार सिंह खेरा ने विरोधियों का पीछा करने में अपनी निजी सुरक्षा की तनिक परवाह न करते हुए उत्कृष्ट वीरता एवं साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 जनवरी 1972 से दिया जाएगा।

सं० 102-प्रेञ्च/72—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी उच्चकोटि की विशिष्ट सेवा के उपलक्ष में "विशिष्ट सेवा मैडल" सहर्ष प्रदान करते हैं :—

लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन लाल खन्ना (टी० ए०-41081)  
रेलवे इंजीनियर (टी० ए०)।

लेफ्टिनेंट कर्नल कौलाश चन्द्र काली (आई०सी०-6706)  
10 सिख।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल मोम दत्त सेहवा (आई०सी०-10087)

2 महार

लेफ्टिनेन्ट कर्नल हेराल्ड वान्टर सालदाहा (आई०सी०-5198)  
आटिलरी।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल अशोक कुमार वेटर्जी (आई०सी०-6008)  
सिख एल० आई०

लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्रकाश चन्द्र भल्या (आई०सी०-5394)  
सिगनल्स।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल दुआर्का दास वत्रा (आई०सी०-6105)  
आटिलरी।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल अनन्त दत्तात्रया मोहनी (आई०सी०-  
1730), ए०ओ०सी०।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल राजिन्द्र सिंह (आई०सी०-5302),  
आटिलरी।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल तेजिन्द्र सिंह पाल (आई०सी०-5877),  
3 कुमाऊं।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल नारायणा मकरत नायर (आई०सी०-  
7334), 1/11 जी०आर०।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल दिग्विजय सिंह जमवाल (आई०सी०-  
5307), 45 सी०ए०सी०।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल कोट्टिविलायिल गोम्मे जाज (आई०सी०-  
6057), आटिलरी।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल अशुतोष कुमार (आई०सी०-5327),  
सिगनल्स।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल कृष्ण कुमार बोहरा (आई०सी०-9647),  
आटिलरी।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल तरुण कुमार रे (आई०सी०-1126), ए०  
ओ० सी०।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल राजकुमार चांपड़ा (एम०आर०-789),  
ए०एम०सी०।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल राय सिंह (आई०सी०-5086), एम०वी०  
सी० ग्रेनेडियर्स।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल अदी जमशेदजी मितांचर होमजी (आई०सी०  
6905), आटिलरी।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल चेम्बलिल जार्ज वर्गीज (आई० सी०-  
6024), इंट० कोर।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल मनोहर लाल भण्डारी (आई०सी०-6670)  
इंट० कोर।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल पुरनेन्द्र मोहन मुखर्जी (आई०सी०-6563),  
ई० एम० ई०।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल अशोक गिलाना (आई०सी०-6731)  
आटिलरी।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल रघुबेन्द्र कुमार सिंह (आई०सी०-6603)  
इंजीनियर्स।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्रसान्त कुमार रे (एम०आर०-797),  
ए०एम०सी०।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल महेंद्र सिंह गोमैने (आई०सी०-6610)  
इंजीनियर्स।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल सम्भासिवन चन्द्रन (आई०सी०-5834),  
इंजीनियर्स।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल चन्द्र कुमार किचलू (आई०सी०-4360),  
ए०ओ०सी०।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल जसवन्त सिंह मन्न (आई०सी०-6544),  
ई०एम०ई०।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल सुरिन्द्रपाल सिंह सिधू (आई० सी०-  
5129), पंजाब।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल मुखण्डी मजूमदार (आई०सी०-5821),  
इंजीनियर्स।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल चन्द्र मोहन गुप्ता (आई०सी०-4799),  
आटिलरी।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल मुरारी स्वामीमानी कृष्णामूर्थी (आई०  
सी०-4091), ए०एस०सी०।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल एरबिल्ली मुर्लीधर राओ (आई०सी०-  
7262), बिहार।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल अर्जुन वर्मा (आई०सी०-7600), सिग-  
नल्स।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल राजेन्द्र प्रकाश (आई०सी०-5135),  
आटिलरी।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल बसन्त बल्लभ उप्रेती (आई०सी०-6249)  
सिख।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल विजय कुमार मधोक (आई० सी०-  
6132), 3 जी०आर०।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल विनोद बधवार (आई०सी०-6701),  
5 जी० आर०।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल सलिल चन्द्र घोष (एम०आर०-733),  
ए०एम०सी०।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल ओम प्रकाश प्रोवर (आई०सी०-7076),  
इंजीनियर्स।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल मूरज प्रकाश मलिक (आई० सी०-  
10868), सिगनल्स।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल फ्रांसिस रेगिस कैम्पोस (आई० सी०-  
5566), मद्रास।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल कृष्ण नानिकराम घदानी (आई०सी०  
6641), आटिलरी।

- लेफ्टिनेन्ट कर्नल रविन्द्र डल धवन (आई०सी०-6807),  
12 राज राइफल्स।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल जगदम्बा प्रसाद थपनियाम् (आई०सी०-  
6691), इंजीनियर्स।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल नारायण समी परमेश्वरा अय्यर (आई०  
सी०-1127), ए०ओ०सी०।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल हरजीत सिंह सिधू (आई०सी०-4809),  
डोगरा।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल मोहिन्द्र सिंह चेहल (आई०सी०-5091),  
आर्टिलरी।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल मदन विजय (आई० सी०-7057), 4  
जी०आर०।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल बंकारामन सुब्रमण्यम (एम०आर०-  
693), ए०एम०सी०।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल गज्वाराम भाषव राओ (आई० सी०-  
7379 20 मराठा एल०आई०।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल बानी सिंह डगर (आई०सी०-7350),  
पारा।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल शाम लाल तुगनइत (आई०सी०-4198),  
आर्टिलरी।
- लेफ्टिनेन्ट महेंद्र सिंह (एम०आर०-358), ए०एम०सी०।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल हरीश चन्द्र पुरी (एम० आर०-544),  
ई०एम०सी०।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल रमिन्द्र पाल सिंह (आई०सी०-6503),  
7 पारा (मरणोपरान्त)।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल कुपा बंकेता मुय्यह्यम (एम०आर०-  
714), ए०एम०सी०।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल आई०ए०एन० इन्द्रजीत सहगल (आई०  
सी०-9137), ए०एस०सी०।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल जगदीश सहार्डे मक्कर (आई०सी०-  
7716), इंजीनियर्स।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल महावीर सिंह (आई०सी०-5661),  
15 ग्रेनेडियर्स।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल चमन लाल घई (आई०सी०-7079),  
8 ग्रेनेडियर्स।
- लेफ्टिनेन्ट गोपाल कृष्ण मोनी (एम०आर०-1162),  
ए०एम०सी०।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल मोहिन्द्र सिंह (आई०सी०-4291), ग्रेने-  
डियर्स।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल रथनाम्बासी माहिमल राजन (आई०सी०-  
2301), सिगनल्स।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल भृगिन्द्र प्रकाश मुरगई (आई०सी०-  
6127), सिगनल्स।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल डाकिनेदी सतुयानागयण राव (आई०सी०-  
7176), ए०एस०सी०।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल अमरजीत कल्कत (आई०सी०-7374),  
5/8 गोरखा राइफल्स।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल सतजीत सिंह (आई०सी०-6667), आर्टि-  
लरी।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल विनय कुमार दाम (आई०सी० 5868)  
आर्टिलरी।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल विजय नारायण चन्ना (आई०सी०-8495),  
वी०एस०एम० (बार) गार्ड्स।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल बलदेव कुमार भण्डारी (आई०सी०-  
5845), सिगनल्स।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल जैक पैट्रिक टोर्पा (आई०सी०-8374),  
मराठा एल०आई०।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल दलीप सिंह सिधू (आई०सी० -7025),  
4 सिख।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल ओम प्रकाश त्रिस्ता (आई०सी०-8172),  
8 बिहार।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल कनवर्जीत सिंह ग्रेवाल (आई०सी०-  
4918), डोगरा।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्रभजोत सिंह तलवार (आई०सी०-  
5905), सिगनल्स।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल सुनिथ फ्रांसिस राट्टीगिय्यम (आई०सी०-  
6119), आर्टिलरी।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल अमेन्द्रा कुमार बागची (आई०सी०-  
2378), 9 गोरखा राइफल्स।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल जोगिन्द्र सिंह (आई०सी०-7693), इंजी-  
नियर्स।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल सुभाष चन्द्र समाव्दर (एम०आर०-  
1684), ए०एम०सी०।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल सिवेशपाण्डे श्रीकृष्णा चिदम्बर (आई०  
सी०-7899), 12 कुमाऊं।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल हर गजिन्द्र सिंह (आई०सी०-6750),  
महारा।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल जगजीत सिंह (आई०सी०-6601),  
आर्टिलरी।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल ब्रह्मदेसम् सिदामी गौरीशंकर (आई०  
सी०-5378), आर्टिलरी।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल रनबीर मोहन (आई०सी०-4851),  
सिगनल्स।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्रदीप कुमार वास गुप्ता (आई०सी०-  
6665), 6 महारा।
- मेजर श्री राम पुरोथी (आई०सी०-12003), आर्टिलरी।
- मेजर जोगिन्द्र सिंह बेदी (टी०ए०-40506), 123  
इन्फैन्ट्री बटालियन (टी०ए०)।

मेजर हेमेश्वर किशोर भट्टाचार्य (टी०सी०-31124), ए०एम०सी० (पोस्टल)।

मेजर मुधन्सु कुमार चट्टोपाध्याय (एम०आर०-2077), ए०एम०सी०।

मेजर सुशील जगोटा (आई०सी०-6678) ई०एम०ई०।

मेजर प्रहलाद भगत (आई०सी०-10287), आर्टिलरी।

मेजर चन्द्र नन्दवाणी (आई०सी०-13726), ए०एम०सी०।

मेजर नरेन्द्र कुमार सिंह (आई०सी०-9916), बिहार

मेजर कपिल मोहन (टी०ए०-40732), 124 इन्फैन्ट्री बटालियन (टी०ए०)।

मेजर सुरिन्द्र कुमार (आई०सी०-12865), इंजीनियर्स।

मेजर अलाला क्रिस्टोफर बाबू राओ (एम०-30802), ए०एम०सी०।

मेजर ललित चन्द्र ईदनाणी (आई०सी०-15030), इंजीनियर्स।

मेजर संतोष गोपाल मुकुर्जी (आई०सी०-7017), सिगनल्स

मेजर परमात्मा चन्द्र मुरली मनोहर मल्ल मेहता (एम०-30550), वी०एस०एम०, (बार) ए०एम०सी०।

मेजर रमेश चन्द्र (एम०-30243), ए०एम०सी०।

मेजर मदन लाल दत्ता (आई०सी०-12435), सिगनल्स।

मेजर उमापदा चट्टोपाध्याय (एम०आर०-1841), ए०एम०सी०।

मेजर शोधाकर नाथ चौधुरी (एम०आर०-1818), ए०एम०सी०।

मेजर हेनरी पिण्टो (एस०एल०-452), ई०एम०ई०।

मेजर मलेन्द्र दा लाल दास (एम०आर०-1289), ए०एम०सी०।

मेजर सुजाता भट्टाचार्य (एम०आर०-1782) ए०एम०सी०।

मेजर रविन्द्र प्रताप घोष (आई०सी०-18174), इंजीनियर्स।

कैप्टेन सुरेश विहारी माथुर (आई०सी०-20636), सिगनल्स।

कैप्टन पुथिन्कीटिल जोसेफ अन्टोनी (आई०सी०-22746), सिगनल्स।

कैप्टन बलबीर सिंह (एम०आर०-1962), ए०एम०सी०।

कैप्टन (कुमारी) कस्तूरी बाई थान्नीचेरी कुमारन (एन०टी०-13259), एम०एन०एम०।

कैप्टेन इन्द्र मोहन (आई०सी०-14611), डोगरा।

कैप्टेन बोम्मामानी पान्डु रत्नागओ (एम०आर०-1935) ए०एम०सी०।

कैप्टेन (कुमारी) प्रभावती दत्तात्रय पन्से (एन०आर०-12993), एम०एन०एम०।

कैप्टेन सोहन सिंह बिष्ट (आई०सी०-15189), ए०ओ०सी०।

कैप्टेन जनार्थनन् (टी०एस०-41082), 1033 हेडक्वार्टर रेजिमे इंजीनियर्स (टी०ए०)।

कैप्टेन प्रेमनाथ गोविन्दापिल्लार्ई कनिकाग (एम०आर०-2969), ए०एम०सी०।

लेफ्टिनेन्ट तेजासिंह (एम०आई०-1791), एमिस्टैंट गारीसन इंजीनियर्स।

जे०सी०-12135 सूबेदार मेजर इनायत अली खान, 1 ग्रेनेडियर्स।

जे०सी० 19738 सूबेदार विनय सिंह, इंजीनियर्स।

जे०सी० 58594 नायब सूबेदार मकब्रन सिंह बाल, ए०एम०सी०।

जे०सी० 45443 नायब सूबेदार रन्जीत सिंह, आर्टिलरी।

जे०सी०-60254 नायब सूबेदार पूरन चन्द अवस्थी, सिगनल्स।

6309693 पान्स नायक हरी चन्द, सिगनल्स।

### सीमा सुरक्षा दल

कमांडेन्ट मोहन लाल कालिया, 12वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा दल।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल लक्ष्मण बलवन्त काने (आई०सी०-1317) मराठा, 2री बटालियन, सीमा सुरक्षादल।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल भैरन सिंह (आई०सी०-6313), जाट, 93वीं बटालियन सीमा सुरक्षा दल।

डिप्टी कमांडेन्ट कंवर भूपेन्द्र सिंह, 72वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा दल।

असिस्टेन्ट कमांडेन्ट डेवदाम चैटर्जी, 72वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा दल।

### स्पेशल फ्रंटियर फोर्स

लेफ्टिनेन्ट कर्नल कृष्ण लाल वासुदेवा (आई०सी०-7203), आर्टिलरी, सेक्टर कमांडर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स।

### जनरल रिजर्व इंजीनियर्स फोर्स

लेफ्टिनेन्ट कर्नल सिवामालीअप्पा गुलीपुर मन्धादेवारु (आई०सी०-9867), इंजीनियर्स, 12 वाईंग रोड्स टास्क फोर्स (जनरल रिजर्व इंजीनियर्स फोर्स)

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति के उप-सचिव

### विदेश व्यापार मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 1972

### संकल्प

सं 3/3/70 एफ० टी० जेड०—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 1 खंड 1 में दिनांक 17 मार्च 1971 में प्रकाशित भारत सरकार के विदेश व्यापार मन्त्रालय के समसंख्यक संकल्प, दिनांक 15 मार्च 1971 में निम्नोक्त परिवर्तन करने का विनिश्चय किया गया है।

- (1) संकल्प की कण्डिका 2(3) में दिये गये "उपकी पहले 6 महीने के लिये निर्यात उत्पादन के संबंध में "शब्दों के स्थान पर" समय समय पर सरकार की नीति के अनुसार "शब्द" प्रतिस्थापित करें।

- (2) संकल्प की कंडिका 2(6) में दिये गये निम्नोक्त शब्दों को निकाल दें; "इस समय पूंजीगत माल समिति ने ऐसे मामलों को निपटाने के लिये समिति को शक्तियाँ प्रत्यायोजित की हैं जिसमें 7.5 लाख रुपये मूल्य तक के ही पूंजीगत मालके आयात से संबंधित मामले शामिल हैं"।
- (3) संकल्प की कंडिका 3(7) में दिये गए "विदेशी निवेश बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "सरकार" शब्द प्रनिस्थापित करें और इस कंडिका के नीचे दी गई पाद-टिप्पणी को निश्चाल दें।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक एक प्रति सभी संबंध व्यक्तियों को भेजी जायें।

वी० एस० मिश्र, संयुक्त सचिव

#### इस्पात और खान मंत्रालय

##### (इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1972

#### संकल्प

सं० दुर्गापुर-18(5)/72—प्राक्कलन समिति ने इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) लौह और इस्पात और लौह मिश्र-धातुओं के आयोजन, विकास, उत्पादन और वितरण संबंधी अपनी 20वीं रिपोर्ट में कहा है कि समिति इस बात से चिंतित है कि वर्ष 1970-71 में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के कुल उत्पादन का 12.6 प्रतिशत उत्पादन "दोषयुक्त" माल के रूप में वर्गीकृत किया गया और दुर्गापुर इस्पात कारखाने के तैयार इस्पात के कुल उत्पादन का 10.2 प्रतिशत उत्पादन "स्क्रेप" के रूप में वर्गीकृत किया गया। समिति के विचार में यह प्रतिशत बहुत अधिक है विशेषतः ऐसे समय में जबकि सारे देश में इस्पात की बहुत कमी अनुभव की जा रही है। चूंकि "स्क्रेप" और "दोषयुक्त माल" आदि का प्रतिशत अधिक होने का परिणाम अन्ततः यह होता है कि कारखाने की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। समिति ने यह बात जोर देकर कही है कि सरकार इस्पात कारखानों को कहे कि वे इस प्रतिशत को कम से कम करने के लिये भरसक प्रयत्न करें। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार विभिन्न इस्पात कारखानों में उत्पादन के इतने अधिक प्रतिशत को "दोषयुक्त माल" "कतरनो" और "स्क्रेप" के रूप में वर्गीकृत किये जाने के कारणों का पता लगाने के लिये एक स्वतन्त्र तथा उच्च-अधिकार-प्राप्त तकनीकी समिति द्वारा इस मामले की जांच करवाए और उससे कारखानों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु उपचारात्मक-उपाय सुझाने को कहे।

2. सरकार ने प्राक्कलन समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और एक तकनीकी समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

- (1) श्री हरिभूषण, अध्यक्ष  
वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार,  
इस्पात और खान मंत्रालय,  
(इस्पात विभाग)।

- (2) श्री एस० आर० प्रमाणिक, मध्य  
मुख्य धातु कार्मिक सलाहकार,  
केंद्रीय इंजीनियर और रूपांकन व्यूरो,  
रांची।

- (3) श्री पी० मजुमदार, मध्य  
सहायक महा अधीक्षक (मिलज),  
टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०  
जमशेदपुर।

3. कंपनी के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) इस्पात कारखानों की बेलन मिलों में "दोष युक्त माल" "रही माल" और "स्क्रेप" के अधिक मात्रा में निकलने के कारणों का पता लगाना; और

(ii) इस स्थिति में सुधार करने के लिये उपाय सुझाना।

4. समिति सितंबर, 1972, के अन्त तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिये प्रकाशित किया जाय।

क० वे० रामानाथन, संयुक्त सचिव

#### औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1972

#### संकल्प

सं० 07011/1/70-साल्ट—इस मंत्रालय के इसी संख्या वाले संकल्प विनांक 15 मार्च 1972 को जारी रखने हुये जो नमक की केंद्रीय तथा प्रादेशिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन करने के बारे में है, भारत सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को नीचे दिये गये स्थानों पर नियुक्त करने का निश्चय किया है :—

#### क-केंद्रीय सलाहकार परिषद

- | नाम तथा पता   | स्थान संख्या तथा श्रेणी                                |
|---|--|
| 1. श्री एम० एस० रामचन्द्रन,<br>महासचिव,<br>टेक्सटाइल मिल्स इंजीनियरिंग,<br>वर्कर्स यूनियन, 107, नई<br>जेल रोड,<br>मदुरै-10 (तमिलनाडु) | 17. व्यक्ति जिसे श्रमिक समस्याओं का ज्ञान और अनुभव हो। |

#### ख प्रादेशिक सलाहकार परिषद

#### (१) आंध्र प्रदेश

- | नाम और पता  | स्थान संख्या तथा श्रेणी                               |
|---|---|
| 1. श्री मोदाली सत्यम,<br>सचिव, इंटक यूनियन तथा<br>टाउन कांग्रेस, नया बस स्टैंड,<br>विजयनगरम (डाकखाना)<br>विशाखापत्तनम जि० (आ०<br>प्र०)। | 3. व्यक्ति जिसे श्रमिक समस्याओं का ज्ञान और अनुभव हो। |



नाम तथा पता	स्थान संख्या तथा श्रेणी
2. श्री डी० एस० रेड्डी, प्रेसीडेंट, दिनौपाव, सकिल साल्ट वर्कर्स यूनियन, नौपाव (श्री काकुलम जिला) आंध्र प्रदेश ।	4. व्यक्ति जिसे श्रमिक समस्याओं का ज्ञान और अनुभव हो ।

## (3) पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा

1. श्री समर चक्रवर्ती, श्रमिक भवन, 177/बी, आचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता-14 (पश्चिम बंगाल) ।	4. व्यक्ति जिसे श्रमिक समस्याओं का ज्ञान और अनुभव हो ।
---	--

## (4) महाराष्ट्र

श्री वी० जी० निमकार, सचिव, राष्ट्रीय केमिकल कामगार संघ, छाकखाना-अम्बरेनाथ, जिला—थाना (महाराष्ट्र) ।	4. व्यक्ति जिसे श्रमिक समस्याओं का ज्ञान तथा अनुभव हो ।
---	---

## (6) राजस्थान

## नाम तथा पता

1. श्री नारायण वर्मा, पुराना जायखाना, सांभरक्षील (राजस्थान) ।	3. व्यक्ति जिसे श्रमिक समस्याओं का ज्ञान तथा अनुभव हो ।
---	---

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, तथा प्रधान मंत्री के निजी सचिवालय को भेजा जाय ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राज-पत्र के भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित किया जाय ।

आई० वी० चुनकन, अवर सचिव

**कृषि मंत्रालय**  
(कृषि विभाग)

## (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त 1972

सं० 40-2/69-एफ० ए० 1—भारत सरकार, और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के सलाहकार दल की ओर से, फोर्ड फाउंडेशन ने करार ज्ञापन दिनांक 28 मार्च 1972 के द्वारा उक्त करार में वर्णित शर्तों के अधीन और उनकी पुष्टि में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंध के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान स्थापित करना स्वीकार किया था ।

उक्त करार के अनुसरण में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, दोनों ने अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के सलाहकार दल के सदस्य होने के

नाते अर्द्ध-शुष्क उष्ण कटिबंध के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का संविधान अपना कर उपरोक्त करार ज्ञापन दिनांक 28 मार्च, 1972 के उपबन्धों के अनुरूप उक्त संस्थान की स्थापना की है ।

अर्द्धशुष्क उष्ण-कटिबंध के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान के नियम 5 में अभिव्यक्त खंड 4 के अन्तर्गत संस्थान एक शासीनिकाय, जिसके तीन सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत होंगे, के प्राधिकार में कार्य करेगा ।

अतः अब भारत सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को अर्द्ध-शुष्क उष्ण-कटिबंध के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की शासीनिकाय में अपने प्रतिनिधि मनोनीत करती है :—

- मंसिमंडल सचिव, भारत सरकार ।
- महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ।
- मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, ।

ई० के० कोशी, अपर सचिव,  
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

## शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

## (शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1972

विषय :—किंग एडवर्ड मेमोरियल सोसायटी सी० पी० तथा बरार, नागपुर के संबंध में ।

सं० एफ० 7-1/72-स्कूल-1—जबकि, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 7-1/72-स्कूल-1, दिनांक 31 जुलाई, 1972 के जरिये, भारतीय पूर्ण अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष को किंग एडवर्ड मेमोरियल सोसायटी, सी० पी० तथा बरार, नागपुर के 1,85,900 रुपये के अंकित मूल्य के निष्क्रयण-लाभ को 5-3/4 प्रतिशत मध्य प्रदेश विकास ऋण 1983 में पुनर्निवेश करने के लिये प्राधिकृत किया है ।

और जबकि भारतीय पूर्ण अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष के एजेंट की हैसियत से पूर्ण अक्षयनिधि मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष ने यह सूचित किया है कि क्योंकि उक्त पुनर्निवेशन 1,90,163.03 की लागत से 1,85,900 रुपये के अंकित मूल्य के मध्य प्रदेश विकास ऋण 1983 में लगाकर पूरा हो गया है केवल 36.97 रुपये का बचाया बिना निवेश के रह गया है, जोकि निवेशन के लिये बहुत ही कम रकम है और इसलिये, जोकि उक्त सोसायटी के प्राधिकारियों को वापिस करनी है ।

अब, इसलिये, पूर्ण अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारतीय पूर्ण अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष को निवेश की गई 36.97 रुपये (छत्तीस रुपये और सतानवें पैसे) की रकम को, किंग एडवर्ड मेमोरियल सोसायटी, सी० पी० तथा बरार, नागपुर के प्रशासन में कार्य कर रहे व्यक्ति को वापिस करने का आदेश देती है ।

## कार्यालय ज्ञापन

विषय :—अक्षयनिधि-पूर्त-किंग एडवर्ड मेमोरियल सोसायटी, सी० पी० तथा बरार, नागपुर द्वारा 4 प्रतिशत म० प्र० ऋण, 1971 के पुनःप्राप्त अर्थलाभ का 5½ प्रतिशत म० प्र० ऋण, 1983 में पुनर्निवेशन :

मं० एफ० 7-1/72-स्कूल-1—उपरोक्त विषय पर वित्त-मंत्रालय (अर्थ कार्य विभाग)—भारतीय पूर्त अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष के कार्यालय के दिनांक 2 जून 1972 के गैर-सरकारी पत्र सं० डी० 622/72-टी० सी० ई० के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्त अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 की धारा 10 की शर्तों के अनुसार शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) को मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पत्र सं० 1421/1572/20-4/72 दिनांक 10 मई 1972 (प्रतिलिपि मंगलन) के साथ प्राप्त किंग एडवर्ड मेमोरियल सोसायटी, सी० पी० तथा बरार नागपुर के अवैतनिक सचिव के दिनांक 5 अप्रैल, 1972 वाले पत्र सं० 136 में निहित—1,90,200 रुपये को 4 प्रतिशत म० प्र० ऋण 1971 के निष्क्रमण-लाभ को 1,90,163.03 रुपये की कुल लागत के लिये 1,85,900 रुपये की अंकित मूल्य के 5½ प्रतिशत मध्य-प्रदेश विकास ऋण, 1983 में पुनर्निवेशन से संबंधित प्रस्ताव के प्रति कोई आपत्ति नहीं है।

अतः भारतीय : पूर्त-अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष, नई दिल्ली उपरोक्त ऋण का परिशोधन अर्थलाभ को सम्परिवर्तन करने के लिये पूर्त-अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष मध्य प्रदेश, वित्त-विभाग, भोपाल को अपेक्षित निर्देश जारी करने की कृपा करें।

ए० एन० धवन, सहायक शिक्षा सलाहकार

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 1972

सं० एफ० 12-8/71 वाई० एस०-1(3)—निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान की सोसाइटी के शासी बोर्ड के सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है। इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 12-8/71-वाई० एस०-1(3), दिनांक 24 अप्रैल 1972 में अधिसूचित की गई बोर्ड के सदस्यों की सूची में, प्रत्येक के नाम के सामने दिये गये अनुसार, उनका नाम शामिल किया जाय :—

श्री यू० के० शर्मा, शिक्षा निदेशक, असम राज्य, शिलांग।	क्रमांक 9 के सामने
श्री पृथ्वीपाल सिंह, उप निदेशक, छात्र कल्याण, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना।	क्रमांक 16 के सामने।

2. ये दो सदस्य भी 23 अप्रैल, 1975 तक के लिये बोर्ड की सेवा में रहेंगे।

सु० कृष्णमूर्ति, उप सचिव

## सिखाई और विद्युत् मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 1972

## संकल्प

सं० 14/6/72-डब्ल्यू० डी०—कावेरी के संबंध में तथ्यान्वेषी समिति की स्थापना से संबंधित इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 14/6/72-डब्ल्यू० डी०, दिनांक 12 जून 1972 के संदर्भ में भारत सरकार, न्यायमूर्ति वी० डी० बाल, बम्बई उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को समिति के न्यायाधीश सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति तमिलनाडु, मैसूर तथा केरल की सरकारों, राष्ट्रपति के सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

एस० एन० गुप्त, संयुक्त सचिव

## श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

## (श्रम और रोजगार विभाग)

## (रो० प्र० महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 1972

## संकल्प

सं० ईई-एक-200/10/71—डा० अशोक मित्रा, को जिन्हें उनकी मुख्य अर्थ सलाहकार, अर्थ विभाग, भारत सरकार, की हैसियत में भारत सरकार, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम और रोजगार विभाग (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) संकल्प सं० एम० पी०-10(110)/69, दिनांक 19 दिसम्बर 1970 के अधीन बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, 16 जुलाई 1972 से उक्त समिति के सदस्य के रूप में उनकी वैयक्तिक हैसियत में पुनः नामित किया जाता है।

श्री वी० एल० गिडवानी को, जिन्हें उनकी रोजगार आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिवालय (मंत्रिमंडल कार्य विभाग) की हैसियत में 19 दिसम्बर 1970 को उक्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, 14 जुलाई 1972 से उनकी वैयक्तिक हैसियत में पुनः नामित किया जाता है।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र भाग एक, खंड एक में प्रकाशित किया जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों तथा अन्य संबंधित पक्षों को भेजी जाय।

ईश्वर चन्द्र, महानिदेशक संयुक्त सचिव

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 23rd August 1972

No. 98-Pres./72.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Manipur Rifles:—

*Name and rank of the officer*  
Shri Songkhosat,  
Naik No. 12264,  
1st Battalion,  
Manipur Rifles,  
Imphal, Manipur.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 6th January, 1972, a patrol of the 1st Battalion of Manipur Rifles, was detailed from Lukhambi, an outpost of the battalion, to search out a gang of armed hostiles who were reported to be in the neighbouring area. The patrol searched for the gang in a number of villages but without any success. When the patrol was returning to their base Lukhambi and were descending a steep footpath near village Songphel Khunou, it was ambushed by the hostiles who fired on them with automatic weapons. Shri Songkhosat was the leading scout of the patrol. He sustained a bullet injury just above his abdomen on the left side as a result of which he was seriously wounded. Without caring for his injury, Shri Songkhosat crawled towards one of the positions from where the hostiles were firing. Despite the heavy fire and the serious wound caused to him he reached close to the hostiles firing position and hurled a hand-grenade at the latter. The hostiles were over-awed and abandoned their positions.

Shri Songkhosat displayed conspicuous gallantry and outstanding devotion to duty in dislodging the hostiles from their positions in disregard of his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th January, 1972.

No. 99-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Manipur Rifles:—

*Names and Ranks of the Officers*  
Shri Nar Bahadur,  
L/Naik, Nq. 1376,  
1st Battalion, Manipur Rifles,  
Imphal, Manipur.

Shri Paokam,  
Rifleman, No. 12145,  
1st Battalion, Manipur Rifles,  
Imphal, Manipur.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 6th January, 1972, a patrol of 1st Battalion of Manipur Rifles was detailed from Lukhambi, an outpost of the battalion to search out a gang of armed underground hostiles reported to be in the neighbouring area. The patrol searched for the hostiles in a number of villages but without any success. When the patrol was returning to their base Lukhambi and were descending a steep footpath near village Songphel Khunou, they were ambushed by the hostiles who fired on them with automatic weapons. As a result of the fire by the hostiles, the leading scout of the patrol was seriously injured. In his further attempt to dislodge the hostiles from their positions, the leading scout fell unconscious due to excessive bleeding. Shri Paokam who was the second scout of the patrol, without caring for the bullets, rushed to the place where the injured Naik had collapsed and brought him to a safe place. Shri Nar Bahadur who was behind the second scout then rushed with a Light Machine Gun and shouted to the men of the Patrol to charge. The hostiles who had been initially dislodged from their positions were further over-awed by the charge of the patrol and disappeared in the surrounding thick forest.

In the encounter with the hostiles, Shri Nar Bahadur and Shri Paokam displayed conspicuous gallantry and devotion to duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th January, 1972.

No. 100-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Tamil Nadu Fire Service:—

*Name and rank of the officer*  
Shri Sankaran Bodagar,  
Fireman 2592,  
Madurai District,  
Tamil Nadu.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 26th October, 1971, due to torrential rains, a jungle stream flowing by the side of Arapalayam village in Maudrai District breached its bank as a result of which the village was completely surrounded with flood water and the access roads to the village on its eastern and western sides were breached. While the Arapalayam road on the western side of the village was breached at two places, the Meenakchipuram Road on the eastern side of the village was breached at one place. The Tallakulam Fire Station were requested to render assistance for the rescue of the persons marooned in Arapalayam village. A rescue party of 11 persons was sent to the village along the Arapalayam road but they were stopped at the site of the first breach on the road. The current of the water was very strong. Shri Sankaran Bodagar volunteered to swim across the breach with a rope to serve as a guideline to enable the rescue party to reach the other side of the breach along the guideline. With one end of the rope tied around his waist Shri Sankaran Bodagar swam across the breach which was 50' wide and on reaching the other side, he tied it to a tree available nearby. With the help of this guideline the other members of the rescue party crossed the breach. The rescue party was again stopped at the second breach but here again Shri Sankaran Bodagar volunteered himself to swim across the breach and enabled the rescue party to cross this breach as well. On reaching the village, the rescue party decided to rescue the villagers through the road on the eastern side of the village. But here again, the rescue party found that there was another breach on the road which was 40' wide. Shri Sankaran Bodagar crossed this breach as well and tied the rope around the tree available on the other side of the breach to serve as a guideline with the help of which the entire population of the village numbering about 200 was rescued and evacuated to village Meenakchipuram.

Shri Sankaran Bodagar displayed conspicuous gallantry in crossing through breaches regardless of the danger to his life and in rescuing all the 200 persons marooned in Arapalayam village.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th October, 1971.

No. 101-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force:—

*Name and rank of the officer*  
Shri Mukhtar Singh Khera,  
Sub-Inspector of Police,  
80th Battalion,  
Border Security Force.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 16th January, 1972, information was received an armed party of hostiles was moving to Chhotahar Mizo Hills District. Shri Mukhtar Singh Khera was to intercept the hostiles. Shri Mukhtar Singh Khera covered a distance of 12 miles in three hours in difficult and inhospitable terrain and made contact with the hostiles at about 2100 hours on the 16th January, 1972. In disregard of his personal safety, Shri Mukhtar Singh Khera reached very close to the position of the hostiles and started deploying his LMGs on likely escape-routes of the hostiles. While doing so, he was fired upon by the hostiles. Shri Khera ordered all the platoon weapons to open fire and he himself led the assault on the hostiles. The feature was over-run and two hostiles were killed on the spot and another was bayoneted to death by the LMG group. The remaining hostiles fled away in the jungle.

Shri Mukhtar Singh Khera displayed conspicuous gallantry and courage in chasing the hostiles in complete disregard of his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th January, 1972.

No. 102-Pres./72.—The President is pleased to award the Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order:—

Lt. Col. Manmohan Lal Khanna (TA-41081), Rly Engrs (TA).

Lt. Col. Kailash Chandra Kalley (IC 6706), 10 Sikh.

Lt. Col. Som Dutt Mehta (IC 10087), 2 Mahar.

Lt. Col. Harold Walter Saldanha (IC 5198), Artillery.

Lt. Col. Ashok Kumar Chatterjee (IC 6008), Sikh I.I.

Lt. Col. Parkash Chander Bhalla (IC 5394), Signals.

Lt. Col. Dwarka Das Batra (IC 6105), Artillery.

Lt. Col. Anant Datta Traya Mohoni (IC 1730), AOC.

Lt. Col. Rajinder Singh (IC 5302), Artillery.

Lt. Col. Tejinder Singh Pall (IC 5877), 3 Kumaon.

Lt. Col. Narayana Sankaran Nair (IC 7334), 1/11 GR.

Lt. Col. Digvijay Singh Jamwal (IC 5307), 45 CAV.

Lt. Col. Kottuvillayil Gommen George (IC 6057), Artillery.

Lt. Col. Ashutosh Kumar (IC 5327), Signals.

Lt. Col. Krishen Kumar Vohra (IC 9647), Artillery.

Lt. Col. Tarun Kumar Ray (IC 1126), AOC.

Lt. Col. Rajkumar Chopra (MR 789), AMC.

Lt. Col. Rai Singh (IC 5086), MVC, Grenadiers.

Lt. Col. Adi Jamshedji Minocher Homji (IC 6905), Artillery.

Lt. Col. Cheruvallil George Verghese (IC 6024), INT Corps.

Lt. Col. Manohar Lal Bhandari (IC 6670), INT Corps.

Lt. Col. Purnendra Mohan Mukherji (IC 6563), EME.

Lt. Col. Ashok Gilani (IC 6731), Artillery.

Lt. Col. Raghavendra Kumar Singh (IC 6603), Engineers.

Lt. Col. Prasanta Kumar Ray (MR 797), AMC.

Lt. Col. Mahendra Singh Gosain (IC 6610), Engineers.

Lt. Col. Sambasivan Chandran (IC 5834), Engineers.

Lt. Col. Chandra Kumar Kichlu (IC 4360), AOC.

Lt. Col. Jaswant Singh Mann (IC 6544), EME.

Lt. Col. Surinderpal Singh Sidhu (IC 5129), Punjab.

Lt. Col. Sukhandy Mazumdar (IC 5821), Engineers.

Lt. Col. Chandra Mohan Gupta (IC 4799), Artillery.

Lt. Col. Murari Swamimali Krishnamurthy (IC 4091), ASC.

Lt. Col. Errabelli Murlidhar Rao (IC 7262), Bihar.

Lt. Col. Arjun Verma (IC 7600), Signals.

Lt. Col. Rajendra Prakash IC 5135), Artillery.

Lt. Col. Basant Ballabh Upreti (IC 6249), Sikh.

Lt. Col. Vijay Kumar Madhok (IC 6132), 3 GR.

Col. Vinod Badhwar (IC 6701), 5 GR.

Col. Salil Chandra Ghosh (MR 733), AMC.

Col. Om Prakash Grover (IC 7076), Engineers.

Col. Suraj Prakash Malik (IC 10868), Signals.

Col. Francis Regis Campos (IC 5566), Madras.

Col. Krishan Nanikaram Thadani (IC 6641), Artillery.

Col. Ravinder Datt Dhawan (IC 6807), 12 Raj Rif.

Col. Jagdamba Prasad Thapliyal (IC 6691), Engineers.

Lt. Col. Narayana Sarma Parameshwara Iyer (IC 1127), AOC.

Lt. Col. Harjit Singh Sidhu (IC 4809), Dogra.

Lt. Col. Mohinder Singh Chehal (IC 5091), Artillery.

Lt. Col. Madan Vijay (IC 7057), 4 GR.

Lt. Col. Venkataraman Subramaniam (MR 693), AMC.

Lt. Col. Gundavaram Madhava Rao (IC 7379), 20 Maratha LI.

Lt. Col. Bani Singh Dagar (IC 7350), 1 Para.

Lt. Col. Sham Lal Tugnait (IC 4198), Artillery.

Lt. Col. Mahendra Singh (MR 358), AMC.

Lt. Col. Harish Chandra Puri (MR 544), AMC.

Lt. Col. Raminder Pal Singh (IC 6503), 7 Para

(Posthumous)

Lt. Col. Kuppa Venkata Subrahmanyam (MR 714), AMC.

Lt. Col. Ian Indrajit Sahgal (IC 9137), ASC.

Lt. Col. Jagdish Sahai Makkar (IC 7716), Engineers.

Lt. Col. Mahavir Singh (IC 5661), 15 Grenadiers

Lt. Col. Chaman Lal Ghei (IC 7079), 8 Grenadiers.

Lt. Col. Gopal Krishan Soni (MR 1162), AMC.

Lt. Col. Mohindar Singh (IC 4291), Grenadiers.

Lt. Col. Rathnaswamy Mahimal Rajan (IC 2301), Signals.

Lt. Col. Bhuminder Parkash Murgai (IC 6127), Signals.

Lt. Col. Dakinedi Satuanarayana Rao (IC 7176), ASC.

Lt. Col. Amarjit Kalkat (IC 7374), 5/8 Gorkha Rifles.

Lt. Col. Satjit Singh (IC 6667), Artillery.

Lt. Col. Vinaya Kumar Das (IC 5868), Artillery.

Lt. Col. Vijay Narayan Channa (IC 8495), VSM, (BAR), GUARDS.

Lt. Col. Baldev Kumar Bhandari (IC 5845), Signals.

Lt. Col. Jack Patrick Torpy IC 8374), 5 Maratha LI.

Lt. Col. Dalip Singh Sidhu (IC 7025), 4 Sikh.

Lt. Col. Om Parkash Bisla (IC 8172), 8 Bihar.

Lt. Col. Kanwarjit Singh Grewal (IC 4918), Dogra.

Lt. Col. Prabhjot Singh Talwar (IC 5905), Signals.

Lt. Col. Sunith Francis Rodrigues (IC 6119), Artillery.

Lt. Col. Amredra Kumar Bagchi (IC 2378), 9 Gorkha Rifles.

Lt. Col. Joginder Singh (IC 7693), Engineers.

Lt. Col. Subhas Chandra Samaddar (MR 1684), AMC.

Lt. Col. Sirdeshpande Shrikrishna Chidambar (IC 7899), 12 Kumaon.

Lt. Col. Har Rajinder Singh (IC 6750), Mahar.

Lt. Col. Jagjit Singh (IC 6601), Artillery.

Lt. Col. Brahmadesam Cidami Caurishankar (IC 5378), Artillery.

Lt. Col. Ranbir Mohan (IC 4851), Signals.

Lt. Col. Pradip Kumar Das Gupta (IC 6665), 6 Mahar

Maj. Sri Ram Prothi (IC 12003), Artillery.

Maj. Joginder Singh Bedi (TA 40506), 123 Inf. Bn. (TA).

Maj. Hemendra Kishore Bhattacharjee (TC 31124), ASC (Postal)

Maj. Sudhansu Kumar Chattopadhyay (MR 2077), AMC.

Maj. Sushil Jagota (IC 6678), EME.

Maj. Prahlad Bhagat (IC 10287), Artillery.

Maj. Chander Mandwani (IC 13726), ASC.

Maj. Narendra Kumar Singh (IC 9916), Bihar.

Maj. Kapil Mohan (TA 40732), 124 Inf. Bn. (TA).

Maj. Surinder Kumar (IC 12865), Engineers.

Maj. Alagala Christopher Babu Rao (M 30802), AMC.

Maj. Lalit Chander Idnani (IC 15030), Engineers.

Maj. Santosh Gopal Mookerjee (IC 7017), Signals.

Maj. Parmatma Chand Murli Manohar Mali Mehta (M 30550), VSM, (BAR) AMC.

Maj. Ramesh Chandra (M 30243), AMC.

Maj. Madan Lal Datta (IC 12435), Signals.

Maj. Umapada Chattopadhyay (MR 1841), AMC.

Maj. Shodhakar Nath Choudhury (MR 1818), AMC.

Maj. Henry Pinto (SL 452), EME.

Maj. Sailendu Lal Das (MR 1289), AMC.

Maj. Subrata Bhattacharjee (MR 1782), AMC.

Maj. Ravindra Pratap Grover (IC 18174), Engineers.

Capt. Suresh Behari Mathur (IC 20636), Signals.

Capt. Puthenveetil Joseph Antony (IC 22746), Signals.

Capt. Balbir Singh (MR 1962), AMC.

Capt. (Miss) Kasturibai Thannichery Kumaran (NT 13259), MNS.

Capt. Inder Mohan (IC 14611), Dogra.

Capt. Bommasani Pandu Rangarao (MR 1935), AMC.

Capt. (Miss) Prabhavati Dattatraya Panse (NR 12993), MNS.

Capt. Sohan Singh Bisht (IC 15189), AOC.  
 Capt. Janarthnan (TS 41082), 1033 HQ Rly. Engineers (TA).  
 Capt. Premnath Govindapillai Kainikkara (MR 2969), AMC.  
 Lt. Teja Singh (SI 1791), Asstt. Garrison Engineer.  
 JC-12135 Sub. Maj. Inayat Ali Khan, 4 Grenadiers.  
 JC-19738 Sub. Bishan Singh, Engineers.  
 JC-58594 Nb. Sub. Makhan Singh Bal, AMC.  
 JC-45443 Nb. Sub. Ranjit Singh, Artillery.  
 JC-60254 Nb. Sub. Puran Chand Awasthi, Signals.  
 6309693 L/Nk. Hari Chand, Signals.

*Border Security Force*

Commandant Mohan Lal Kalia, 12 Bn. BSF.  
 Lt. Col. Laxman Balwant Kane (IC 1317), Maratha 2 Bn. BSF.

Lt. Col. Bhairon Singh (IC 6313), Jat, 93 Bn. BSF.  
 Deputy Commandant Kanwar Bhupendra Singh, 72 Bn. BSF.

Assistant Commandant Debdas Chatterji, 72 Bn. BSF.

*Special Frontier Force*

Lt. Col. Krishan Lal Vasudeva (IC 7203), Artillery Sector Comdr SFF.

*General Reserve Engineers Force*

Lt. Col. Sivamaliappa Gulipur Manthadevaru (IC 9867), Engineers, 12 Border Roads Task Force (GREF).

S. NILAKANTAN, Dy. Secy. to the President

**MINISTRY OF FOREIGN TRADE**

New Delhi, the 14th August 1972

**RESOLUTION**

No. 3/3/70-FTZ.—It has been decided to make the following changes in the Government of India, Ministry of Foreign Trade's Resolution of even number dated, the 15th March, 1971 published in the Gazette of India, extra ordinary, Part I—Section 1 on 17th March, 1971.

- (i) Substitute the words "as per policy of the Government from time to time" in place of words "for their first six months export production" appearing in para 2(iii) of the resolution.
- (ii) Delete the following words appearing in Para 2(vi) of the resolution :  
 "At present the CG Committee has delegated powers to the committee to clear cases involving imports of capital goods up to value of Rs. 7.5 lakhs only".
- (iii) Substitute the word "Government" for the words "Foreign Investment Board" appearing in para 3(vii) of the resolution and delete the footnote appearing under this Para.

**ORDER**

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

V. S. MISRA, Jt. Secy.

**MINISTRY OF STEEL & MINES**

(Department of Steel)

New Delhi-11, the 1st August 1972

**RESOLUTION**

No. DUR-18(5)/72.—In their 20th Report on Ministry of Steel and Mines (Department of Steel)—Planning Development, Production and Distribution of Iron and Steel and Ferro-Alloys, the Estimates Committee have observed that they are concerned note that, in 1970-71, 12.6 per cent of the total production of Indian Iron and Steel Company was classified as 'defectives' and 10.2 per cent of the total finished steel production of Durgapur Steel Plant was classified as 'scrap'. The Committee are of the view that this percentage is on the high side especially in the context of the acute shortages of steel being felt all over the country. As the higher percentage of 'scrap' and 'defectives' etc., ultimately result in higher cost of production in the steel plant, the Committee

have urged that Government should impress upon the steel plants the need to make concerted efforts to reduce this percentage to the minimum possible. The Committee have also recommended that Government may get the matter examined by a high-powered independent technical committee to find out the precise reasons for such high percentages of production in various steel plants being classified as 'defectives', 'cuttings' and 'scrap' and suggest remedial measures for improving the performance.

2. Government have accepted this recommendation of the Estimate Committee and have accordingly decided to appoint a Technical Committee consisting of the following persons.

*Chairman*

- (1) Shri Hari Bhushan,  
 Senior Industrial Adviser,  
 Ministry of Steel & Mines  
 (Department of Steel)

*Members*

- (2) Dr. S. R. Pramanik,  
 Chief Metallurgical Adviser,  
 Central Engineering and  
 Design Bureau,  
 Ranchi.
- (3) Shri P. Majumdar,  
 Assistant General Superintendent (Mills),  
 Tata Iron and Steel Co. Ltd.,  
 Jamshedpur.

3. The terms of reference of the Committee will be as under :—

- (i) To investigate the reasons for high arising of defectives, rejects and scrap in the rolling mills in the Steel Plants; and
- (ii) to suggest measures to remedy this situation.

4. The Committee will submit its report to Government by the end of September, 1972.

**ORDER**

Ordered that this may be published in the Gazette of India for general information.

K. V. RAMANATHAN, Jt. Secy.

**MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT**

New Delhi, the 11th August 1972

No. 07011/1/70-Salt.—In continuation of this Ministry's RESOLUTION of even number dated the 15th March, 1972, reconstituting the Central and Regional Advisory Boards for Salt, the Government of India have decided to appoint the following persons against the seats indicated below :—

**A. CENTRAL ADVISORY BOARD**

Name and address	Seat No. and Category
1. Shri M. S. Ramachandran, General Secretary, Textile Mills Engineering Worker's Union, 107, New Jail Road, MADURAI-10, (Tamil Nadu)	17. Persons having knowledge and experience of labour problems.

**B. REGIONAL ADVISORY BOARDS**

(2) **ANDHRA PRADESH**

Name and address	Seat No. and Category
1. Shri Modali Sathyam, Secretary, INTUC unions and Town Congres New Bus Stand, VIZIANAGARAM (P.O.) Visakhapatnam Dt. (A.P.)	3. Persons having knowledge and experience of labour problems.

- |   |   |
|---|---|
| <p>2. Shri D. S. Reddi,<br/>President,<br/>The Naupada Circle Salt Worker's Union,<br/>NAUPADA (Srikakulam Dt.)<br/>Andhra Pradesh.</p> <p>3. WEST BENGAL AND ORISSA</p> <p>1. Shri Samar Chakrabarti,<br/>Shramik Bhavan,<br/>177/B, Acharya Jagadish Bose<br/>Road, CALCUTTA-14.<br/>(West Bengal)</p> <p>4. MAHARASHTRA</p> <p>1. Shri V. G. Nimkar,<br/>Secretary,<br/>Rashtriya Chemical Kamgar<br/>Sangh,<br/>P.O. AMBERNATH, (Dist.<br/>Thana),<br/>Maharashtra.</p> <p>5. RAJASTHAN</p> <p>1. Shri Narayan Verma,<br/>Purana Jachakhana,<br/>Sambhar Lake (Rajasthan)</p> | <p>4. Persons having knowledge and experience of labour problems.</p> <p>4. Persons having knowledge and experience of labour problems.</p> <p>4. Persons having knowledge and experience of labour problems.</p> <p>3. Persons having knowledge and experience of labour problems.</p> |
|---|---|

## ORDER

Ordered that this RESOLUTION be communicated to all the State Governments, all Ministries of the Govt. of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, and Prime Minister's Secretariat.

2. Ordered also that the RESOLUTION be published in Gazette of India, Part I, Section 1.

I. V. CHUNKATH, Under Secy.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

(Indian Council of Agricultural Research)

New Delhi, the 17th August 1972

No. 40-2/69-FAI.—Whereas by a Memorandum of Agreement dated 28th March, 1972, between the Govt. of India on the one part and the Ford Foundation acting on behalf of the Consultative Group on International Agricultural Research on the other, it was agreed that an International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics would be established at Hyderabad in Andhra Pradesh, subject to and in conformity with the terms and conditions contained in the said Agreement.

And whereas in pursuance of the said Agreement, Food and Agricultural Organisation of the United Nations and the International Bank for Reconstruction & Development, both being Members of the Consultative Group on International Agricultural Research, adopted into themselves a Constitution for the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics and established the same in conformity with the provisions of the Memorandum of Agreement dated the 28th March, 1972 herein before referred to.

And whereas under Clause 4 of the aforesaid Agreement, which has been given expression in Article V of the Constitution of the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, the Institute shall operate under the authority of a Governing Board whereof, three Members are to be nominated by the Govt. of India.

Now, therefore, the Govt. of India hereby nominates the following persons as its representatives on the Governing Board of the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics :

- (i) The Cabinet Secretary, Govt. of India.
- (ii) The Director-General, Indian Council of Agricultural Research.
- (iii) The Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh.

E. K. KOSHI, Additional Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE  
(Department of Education)

New Delhi, the 31st July 1972

In the matter of King Edward Memorial Society, C.P. & Berar, Nagpur

No. F. 7-1/72-Schools-I.—WHEREAS by the Office Memorandum No. F. 7-1/72-Schools-I dated the 31st July, 1972, from the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education) the Treasurer of Charitable Endowments for India was authorised to re-invest the redemption proceeds of the face value of Rs. 1,85,900/- belonging to the King Edward Memorial Society, C.P. & Berar, Nagpur in 5½% M.P. Development Loan 1983.

AND WHEREAS the Treasurer of Charitable Endowments, Madhya Pradesh, as agent of the Treasurer of Charitable Endowments for India has reported that the said re-investment has since been completed by subscribing to the M.P. Development Loan 1983 of the face value of Rs. 1,85,900/- at a cost of Rs. 1,90,163.03, thus leaving an un-invested balance of Rs. 36,79p. which is too small an amount for investment and has, therefore, to be refunded to the authorities of the said Society.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 10 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) the Central Government hereby directs the Treasurer of Charitable Endowments for India, to refund the said un-invested balance of Rs. 36.97 (Rupees thirty six and paise ninty-seven only) to the person acting in the administration of the King Edward Memorial Society, C.P. & Berar, Nagpur.

A. N. DHAWAN, Asstt. Educational Adviser

New Delhi-1, the 10th August 1972

No. F. 12-8/71-YS.1(3).—The following are nominated as Members of the Board of Governors of the Society for the National Institutes of Physical Education and Sports. Their names are to be inserted in the List of Members of the Board as notified in this Ministry's Notification No. 12-8/71-YS.1(3) dated the 24th April, 1972, as indicated against each :—

<p>Shri U. K. Sarma, Director of Public Instruction, Assam State, Shillong.</p> <p>Shri Prithipal Singh, Deputy Director, Students' Welfare, Punjab Agricultural University, Ludhiana.</p>	<p>Against S. No. 9</p>
--	-------------------------

2. These two members will also serve in the Board till 23rd April, 1975.

S. KRISHNAMOORTHY, Dy. Secy.

## MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 29th July 1972

## RESOLUTION

No. 14/6/72-WD.—With reference to this Ministry's Resolution No. 14/6/72-WD, dated 12th June, 1972, constituting a Fact Finding Committee on Cauvery, Government of India have appointed Mr. Justice B. D. Bal, Retired Judge of Bombay High Court as the Judge Member of the Committee.

## ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Governments of Tamil Nadu, Mysore and Kerala, the President's Secretariat, the Prime Minister's Secretariat, the Planning Commission and the Ministry of Finance.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. N. GUPTA, Jt. Secy.

**MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION****(Department of Labour and Employment)****(Directorate General of Employment & Training)***New Delhi, the 21st August 1972***RESOLUTION**

*No. EEI-200/10/71.*—Dr. Ashok Mitra, who in his capacity as Chief Economic Adviser, Department of Economic Affairs, Government of India, was nominated as a member of the Expert Committee on Unemployment constituted under the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment (Directorate General of Employment and Training) Resolution No. MP-10(110)/69 dated the 19th December, 1970, is renominated in his personal capacity as a member of the said Committee with effect from the 16th July, 1972.

Shri V. L. Gidwani, who, in his capacity as Employment Commissioner, Cabinet Secretariat (Department of Cabinet Affairs), was nominated as a member of the said Committee on the 19th December, 1970, is re-nominated in his personal capacity as a member with effect from the 14th July, 1972.

**ORDER**

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Part I Section 1.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union Territories and all others concerned.

**ISHWAR CHANDRA,**  
Director General of Employment & Training and  
Jt. Secy.

